डिस्कलेमर

आदेश संख्या 38/2023-24 के मुख पृष्ठ, निर्णयों का सार और आदेश संबंधी अध्यायों का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

फा. सं. ऐरा/20010/एमवाईटीपी/ एएआई-पटना/सीपी-II/2023-28

आदेश संख्या 38/2023-24

सत्यमेव जयते

भारतीय विमानपत्त आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

जय प्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, पटना (पीएटी) के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि (01.04.2023 से 31.03.2028) के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने के मामले में

जारी करने की तारीख : 07 मार्च, 2024

ऐरा भवन
प्रशासनिक कॉमप्लेक्स
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली – 110003

15 *प्राधिकरण के निर्णयों का सार*

अध्याय 4 : प्रथम नियंत्रण अवधि का ट्रूअप

4.11.1 तालिका 10 में दिए गए विवरण के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के ट्रू-अप के लिए पूंजीगत परिवर्धनों को मानना।

4.11.2 तालिका 11 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के ट्रू-अप के लिए वैमानिक मूल्यह्रास को मानना।

4.11.3 तालिका 12 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के ट्रू-अप के लिए आरएबी को मानना।

4.11.4 तालिका 14 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के ट्रू-अप के लिए एफआरओआर को मानना।

4.11.5 तालिका 17 में की गई प्रस्तुति के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के ट्रू-अप के लिए गैर-वैमानिक राजस्व को मानना।

4.11.6 तालिका 22 में दिए गए विवरण के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के ट्रू-अप के लिए ओ एंड एम खर्च को मानना।

4.11.7 पीआईए के लिए तालिका 25 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के ट्रू-अप के लिए कराधान को मानना।

4.11.8 पीआईए के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि के ट्रू-अप के लिए तालिका 27 के अनुसार वास्तविक वैमानिक राजस्व को मानना।

4.11.9 पीआईए के लिए तालिका 29 में दिए गए विवरण के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के ट्रू-अप के लिए एआरआर और कम वसूली को मानना और इस कमी को द्वितीय नियंत्रण अवधि में पुन: समायोजित करना।

अध्याय 5: द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए यातायात

5.6.1 पीआईए के लिए तालिका 34 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए एटीएम और यात्री यातायात को मानना।

5.6.2 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय द्वितीय नियंत्रण अवधि के वास्तविक यातायात के आधार पर यातायात की मात्रा (एटीएम और यात्री) को ट्रूअप करना।

अध्याय 6: द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए पूंजीगत व्यय (कैपेक्स), मूल्यह्रास और विनियामक परिसंपत्ति आधार

6.8.1 तालिका 36 में दिए गए विवरण के अनुसार परिसंपत्तियों के सकल ब्लॉक के वैमानिक और गैर वैमानिक परिसंपत्तियों के बीच आबंटन को मानना।

6.8.2 तालिका 44 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक पूंजीगत व्यय के पूंजीकरण को अंगीकार करना।

6.8.3 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों, लागत कार्यक्षमता और औचित्य के आधार पर पूंजीगत व्यय को ट्रू-अप करना।

6.8.4 कोई विशिष्ट पूंजीगत परियोजना पूंजीकरण की अनुमोदित समय-सारणी के अनुसार पूर्ण/पूंजीकृत न होने की स्थिति में एआरआर से अपूंजीकृत परियोजना की लागत की 1% राशि कम (समायोजित) करना। इसके अतिरिक्त यदि परियोजना पूर्ण होने में विलंब एएआई या इसकी संविदाकारी एजेंसी के नियंत्रण से बाहर के किसी कारण की वजह से होता है और इसे ठीक ढंग से औचित्यपूर्ण बताया जाता है तो तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक लागत को ट्रू-अप करने के दौरान प्राधिकरण द्वारा इसे मान लिया जाएगा। ।

6.8.5 तालिका 46 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए मूल्यह्रास को मानना।

6.8.6 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करने के दौरान वास्तविक परिसंपत्ति परिवर्धनों और पूंजीकरण की वास्तविक तारीख के आधार पर द्वितीय नियंत्रण अवधि के मूल्यह्रास को ट्रू-अप करना।

6.8.7 पीआईए के लिए तालिका 48 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए औसत आरएबी को मानना।

6.8.8 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर आरएबी को ट्रू-अप करना।

6.8.9 एएआई पैरा 6.7.4 में दिए गए विवरण के अनुसार आवश्यक एएनएस अवसंरचना/ अद्यतन स्थिति को सुनिश्चित करेगा

अध्याय 7 : द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रतिलाभ की उचित दर

7.6.1 8.10% ऋण की लागत को मानना।

7.6.2. 14 % ईक्विटी की लागत को मानना।

7.6.3 पीआईए के लिए तालिका 54 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए 13% के एफआरओआर को मानना।

7.6.4 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक औसतन भारित लक्ष्य संबंधी अनुपात के आधार पर एफआरओआर को टू-अप करना।

अध्याय 8 : द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए मुद्रा-स्फीति

8.5.1 पीआईए के लिए तालिका 56 में दिए गए विवरण के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए मुद्रा-स्फीति को मानना।

अध्याय 9: द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च

9.6.1 पीआईए के लिए तालिका 65 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को मानना।

9.6.2 पीआईए के लिए अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय औचित्य एवं कार्यक्षमता की शर्त पर द्वितीय नियंत्रण अवधि के दौरान एएआई द्वारा वहन किए गए प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को मानना।

अध्याय 10: द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए गैर-वैमानिक राजस्व

10.6.1 पीआईए के लिए तालिका 70 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए गैर-वैमानिक राजस्व को मानना।

10.6.2 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय पीआईए के लिए एएआई द्वारा द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए अर्जित गैर-वैमानिक राजस्व को मानना।

अध्याय 11 : द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए कराधान

11.5.1 पीआईए के लिए तालिका 74 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए कराधान को मानना।

11.5.2 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर वैमानिक कर राशि को उपयुक्त ढंग से टू-अप करना।

अध्याय 12: द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए सेवा की गुणवत्ता

12.6.1 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के लिए सेवा की गुणवत्ता के संबंध में किसी भी समायोजन को न मानना।

अध्याय 13 : द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए कुल राजस्व अपेक्षा (एआरआर)

13.6.1 पीआईए के लिए तालिका 78 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर और मुनाफे को मानना।

अध्याय 14 : द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक राजस्व

14.6.1 पीआईए के लिए तालिका 83 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक राजस्व को मानना।

14.6.2 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय द्वितीय नियंत्रण अवधि की वास्तविक संख्या के आधार पर वैमानिक राजस्व को टू-अप करना।

16 *आदेश*

16.1 ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(1) (ए) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उपर्युक्त निर्णयों के आधार पर प्राधिकरण एतदद्वारा **संलग्नक-I** के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए पटना अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर वसूली जाने वाली वैमानिक टैरिफ निर्धारित करता है।

16.2 वायुयान अधिनियम, 1934 के अधीन बनाए गए वायुयान नियम, 1937 के नियम, 89 के साथ पठित ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13 (1) (बी) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण एतदद्वारा वर्तमान नियंत्रण अवधि के लिए आदेश के संलग्नक 1 के दर कार्ड में इंगित किए अनुसार यूडीएफ की दर निर्धारित करता है।

16.3 इसमें निर्धारित टैरिफ उच्चतम दरें हैं और इनमें कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।

16.4 यह आदेश **1 अप्रैल, 2024** से प्रभावी किया जाएगा।

16.5 हवाईअड्डा प्रचालक प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए अपना एमवाईटीपी प्राधिकरण को ठीक समय पर प्रस्तुत करेगा।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(सुयश नारायण)
सचिव, ऐरा

सेवामें,

श्री संजीव कुमार, अध्यक्ष,
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण,
राजीव गांधी भवन,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली-110003

प्रतिलिपि,

1. सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली – 110 003

2. नागर विमानन महानिदेशालय :एआईसी जारी करने के लिए